# कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल भवन 74 बंगला, भोपाल दूरभाष 2674290 कार्या. 2674345

क्रमांक / मा.चि. / 4135

भोपाल, दिनांक 8 / 7 / 2019

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल रायसेन

विषयः– रायसेन वनमंडल के अंतर्गत उदयपुरा–गेरतगंज एवं घाटपिपलिया– नकतरा मार्ग के किनारे किनारे आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 0.8138 हेक्टेयर वनभूमि, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम लिमिटेड भोपाल को उपयोग पर देने बावत्।
(आन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/OFC/37980/2018)

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक / माचि / 673 दिनांक 27 / 06 / 2019

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा उदयपुरा–गेरतगंज एवं घाटपिपलिया– नकतरा मार्ग के मध्य मार्ग के किनारे किनारे भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु परिक्षेत्र पूर्व रायसेन, गढ़ी, पश्चिम सिलवानी तथा देवरी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 183, आर.एफ. 184, आर.एफ. 125, आर.एफ. 124, आर.एफ. 123, आर.एफ. 98, आर.एफ. 115, आर.एफ. 100, आर.एफ. 103,एवं पी.एफ. 111 तथा आर.एफ. 360 की कुल 0.8138 हेक्टेयर वनभूमि, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम लिमिटेड 3 (थर्ड ) फ्लोर ब्लाक न. 1, डी0बी0 सिटी एम.पी. नगर भोपाल को उपयोग पर देने के लिये, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत (Right of way) राईट ऑफ वे तहत वनमंडलाधिकारी को प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत अनुमति देने बावत्, प्रकरण का अनुमोदन करने हेतु ऑन लाईन एवं हार्ड प्रति में प्रस्ताव इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रकरण में आपके द्वारा निर्धारित प्रारूप भाग 2 मे की गई अनुशंसा के आधार पर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्र एफ–11 / 2017 / 10–11 / 2586 दि. 01 / 09 / 17 से प्राप्त निर्देशानुसार प्रकरण का अनुमोदन किया जाता हैं। कृपया प्रकरण का सूक्ष्मता से परीक्षण कर, भविष्य में कोई विवाद न हो को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृति देने के पूर्व यदि कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति / समाधान उपरांत, आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न कर लें। तदोपरांत मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक / एफ / 5 / 19 / 2002 / 10–3 दि. 18 / 11 / 2004 एवं एफ–5 / 18 / 2002 / 10–3 दि. 14 / 12 / 05 एवं एफ 5 / 18 / 2002 / 10–3 दि. 01 / 07 / 09 तथा अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू प्रबंध) के पत्र क्रमांक / एफ–11 / 2015 / 2637 दि.28 / 10 / 2015 एवं एफ–5 / 2018 / 10–11 / 3785 दिनांक 10 / 12 / 18 में निहित प्रावधान / दिशा निर्देश के तहत प्रचलित विधि अनुरूप, अनुमति देने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(डॉ0 एस.पी. तिवारी)
मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

पृ.क्र0 / मा.चि. / 4136

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2019

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भू–प्रबंध म0प्र0 भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक / एफ–5 / 2017 / 10–11 / 2586 दिनांक 1 / 9 / 17 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।
2. **Reliance Jio, Infocom Ltd.3rd flor, Block No. 1, DB City, M-P- Nagar Bhopal** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

E:\tribal act. santioned pragati\Tribal act k tahat sahamati.doc